



संख्या : ए-49/16/02/2020-रा.भा.

दिनांक: 06.06.2024

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल/ क.रा.बी.निगम अस्पताल।
4. संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/ निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा।

विषय : कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों (कार्यालय प्रमुखों) द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेसन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2023-2024

महोदय,

विदित है कि निगम अधिकारियों को हिंदी में डिक्टेसन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निगम कार्यालयों में हिंदी डिक्टेसन पुरस्कार योजना लागू है। इस प्रोत्साहन योजना में अन्य अधिकारियों के साथ-साथ बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी/अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक (चिकित्सा)/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक आदि कार्यालय प्रमुख भी भाग ले सकते हैं। इस प्रोत्साहन योजना में भाग लेने वाले कार्यालय प्रमुखों को अपना तत्संबंधी रिकॉर्ड मुख्यालय भेजना होता है और मुख्यालय में इस प्रयोजन के लिए गठित मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर बीमा आयुक्त द्वारा पुरस्कार की मंजूरी दी जाती है। योजना में भाग लेने वाले अधिकारी नीचे दिए गए प्रोफॉर्मों में अपने डिक्टेसन का रिकॉर्ड रखेंगे :-


क्र.सं.	दिनांक	डिक्टेसन में लिखी गई पंक्तियों की संख्या	फ़ाइल संख्या	अभ्युक्ति

अनुरोध है कि वर्ष 2023-2024 (01.04.2023 से 31.03.2024) के दौरान इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक कार्यालय प्रमुख अपनी मातृभाषा का उल्लेख करते हुए हिंदी में दिए गए डिक्टेसनों का रिकॉर्ड दिनांक 12.07.2024 तक मुख्यालय को भिजवाने की कृपा करें ताकि उसे प्रतियोगिता में शामिल किया जा सके।

उक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी भाषी वर्ग एवं हिंदीतर भाषी वर्ग में प्रत्येक के लिए ₹5,000/- (पांच हजार रुपये केवल) का एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हिन्दी भाषी कार्यालय प्रमुख हिन्दी भाषी वर्ग के अंतर्गत एवं हिंदीतर भाषी कार्यालय प्रमुख हिन्दीतर भाषी वर्ग के अंतर्गत इस योजना में भाग ले सकते हैं।

उक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत स्वीकार्यता के लिए आवश्यक हिंदी डिक्टेसन कार्य की न्यूनतम संख्या 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित निगम कार्यालयों में हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 100 डिक्टेसन और हिंदीतर भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 75 डिक्टेसन होगी और 'ग' क्षेत्र में स्थित निगम कार्यालयों में हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 75 डिक्टेसन और हिंदीतर अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 60 डिक्टेसन होगी (मुख्यालय पत्र संख्या ए-49/14/16/89-हिंदी, दिनांक 24.11.1995 के अनुसार)। आशुलिपिक आदि संबद्ध न होने की स्थिति में हाथ से लिखी हुई पंक्तियां भी डिक्टेसन मानी जाएंगी। 10 पंक्तियों से कम के डिक्टेसन की गणना नहीं की जाएगी। इसके साथ न्यूनतम 10 नमूने भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

भवदीय,

 06/06/2024

(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि :

1. मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचना एवं समरूप कार्रवाई हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Signed by Shyam Kumar

Date: 06-06-2024 10:18:19

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)